न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

जयन्तिलाल पुत्र शिवलाल, जाति-जैन, निवासी-रेवदर, तह. रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

(1) राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड रेवदर
(2) तहसीलदार, रेवदर, जिला- सिरोही
(3) भगवती फिलिंग स्टेशन, दौलपुरा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही जरिये भागीदार भगवानाराम पुत्र अलाराम, जाति-रेबारी, निवासी-जीरावल, तह. रेवदर, जिला-सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 39/2022

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री मुन्नवर हुसैन, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या-2 (दो) की ओर से
3. अधिवक्ता श्री चेतन रावल, प्रत्यर्थी संख्या-3 (तीन)

-: निर्णय :- **दिनांक 13 अप्रेल, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 24/2022 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 27.10.2022 से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण के प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-2 (दो) की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। जबकि प्रत्यर्थी संख्या-1(एक) को सम्मन की पंजीकृत डाक से तामिल होने के बावजूद भी इस न्यायालय में उपस्थित नही हुए। अपील की सुनवाई के दौरान भगवती फिलींग स्टेशन, दौलपुरा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही जरिये भागीदार श्री भगवानाराम पुत्र श्री अलाराम, जाति- रेबारी, निवासी- जीरावल, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर इस अपील प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का अनुरोध किया। जिस पर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.2.2023 के द्वारा भगवती फिलींग स्टेशन, दौलपुरा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही जरिये भागीदार श्री भगवानाराम पुत्र श्री अलाराम, जाति- रेबारी, निवासी- जीरावल, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही को पक्षकार बनाया गया। प्रकरण में भगवती फिलींग स्टेशन, दौलपुरा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही जरिये भागीदार श्री भगवानाराम पुत्र श्री अलाराम, जाति- रेबारी, निवासी- जीरावल, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 17641/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.2.2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र के

....पेज 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:09:15 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

साथ दिनांक 14.2.2023 को प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारो एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 17641/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.2.2023 से इस अपील प्रकरण को दो माह की अवधि में विधि अनुरुप निर्णित करने के आदेश दिये गये है।

(3) प्रकरण में वकील पक्षकारान व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को ग्राम दौलपुरा के खसरा संख्या 33 रकबा 0.2.10.00 बीघा किस्म बंजर भूमि का अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की गई है। प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध प्रत्यर्थी संख्या-2 को अपीलार्थी व अन्य के विरुद्ध खसरा संख्या 33 किस्म बंजर की भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या 24/2022 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज कर प्रथम सुनवाई तिथि 29.7.2022 मुकर्रर की गई। दिनांक 29.7.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी उपस्थित नहीं हो पाया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश दिनांक 29.7.2022 को पारित किया। दिनांक 29.7.2022 को पारित निर्णय की जानकारी होने पर अपीलार्थी ने दिनांबक 29.7.2022 को पारित आदेश को अपास्त कर सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 17.8.2022 को अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 29.7.2022 को पारित आदेश को अपास्त कर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने की अनुमति दी गई। जिससे नाराज होकर भगवानाराम पुत्र अलाराम, निवासी- जीरावल, भागीदार, भगवती फिलींग स्टेशन, दौलपुरा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट याचिका संख्या 14477/2022 प्रस्तुत की गई जिसमें तहसीलदार, रेवदर के आदेश दिनांक 17.8.2022 को अपास्त करने का अनुरोध किया गया। यहां यह भी विचारणीय है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर के समक्ष प्रार्थी सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर है जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट याचिका भगवानाराम पुत्र श्री भलाराम की ओर से प्रस्तुत की गई। उक्त रिट याचिका को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2022 को निस्तारित कर तहसीलदार, रेवदर को यह आदेश दिये गये कि तहसीलदार, रेवदर के समक्ष लम्बित धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की कार्यवाही को एक माह की अवधि में निस्तारित करने के आदेश पारित किये गये। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश में स्पष्ट है कि तहसीलदार, रवेदर का आदेश अपास्त नही किया गया था बल्कि नियमानुसार पक्षकारों को सुनकेर एक माह की अवधि में निर्णय करना अपेक्षित था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश का गलत अर्थान्वयन (Interpretation) किया है जि[illegible] सिद्धान्तों से वंचित हुआ है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दि[illegible]ना [illegible] अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दि[illegible] 29.7.2022 को [illegible] किया गया है जो

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:09:15 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]ति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सरासर गलत है, जिससे अपीलार्थी के हितों पर विपरित प्रभाव पडा है। तहसीलदार, रेवदर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश पालना नही की है तथा मनमर्जी से प्राकृति न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए मनमाना निर्णय दिनांक 27.10.2022 को पारित किया है जो विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 की पालना में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत उनके समक्ष विचाराधीन कार्यवाही को एक माह की अवधि अर्थात् दिनांक 10.11.2022 तक निस्तारित किया जाना था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आनन फानन में दिनांक 27.10.2022 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की उपधारा 3(क) के अनुसार उपधारा (2) के अनर्तगत बेदखली की कार्यवाही करने से पूर्व उस व्यक्ति पर, जिसके विषय में रिपोर्ट है कि उसने भूमि पर बिना विधि संगत प्राकिर के अधिवास कर लिया है अथवा वह ऐसा अधिवास जारी रख रहा है, एक नोटिस, जिसमें भूमि को विर्निदिष्ट करते हुए उसे या तो किसी निर्धारित तारीख तक भूमि खाली करने के लिये या अपील और कारण बताने के लिये उसे भूमि से बेदखल क्यों नही कर दिया जाये, कहा गया हो, विहित रीति से तामिल करायेगा। जिसकी पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही की गई है। अतः अपीलाथी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.10.2022 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड रेवदर द्वारा अपीलार्थी जयन्तिलाल व अन्य के विरुद्ध सांचौर, रानीवाडा, मण्डार, रेवदर, करोंटी आबूरोड राजमार्ग संख्या 11 खसरा संख्या 33 रकबा 0.2.10.00 बीघा ($2\frac{1}{2}$बिस्वा) सडक सीमा में बाउण्ड्री वॉल करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर में प्रस्तुत करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किये गये, लेकिन नियत सुनवाई तिथि 29.7.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी व अन्य के उपस्थित नही होने पर दिनांक 29.7.2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद जांच निर्णय पारित कर अपीलार्थी व अन्य को ग्राम दौलपुरा के खसरा संख्या 33 रकबा 0.2.10.00 बीघा किस्म बंजर भूमि का अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने का विधि अनुरुप आदेश पारित किया। जिस पर अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश दिनांक 29.7.2022 को अपास्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.8.2022 को आदेश दिनांक 29.9.2022 को अपास्त कर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने की अनुमति देते हुए सुनवाई हेतु आगामी दिनांक 30.8.2022 नियत की गई, लेकिन अपीलार्थी ने सुनवाई तिथि 30.8.2022, 27.9.2022 व 10.10.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में बचाव में जवाब आदि प्रस्तुत नही किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए [illegible] विधि अनुरुप निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे। प्रत्यर्थी संख्या-3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह [illegible] ने ग्राम दौलपुरा

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:09:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर *सिरोही*

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

के खसरा संख्या 33 जो कि राजकीय भूमि होकर राज्य राजमार्ग सीमा में स्थित भूमि है पर अतिक्रमण कर बैठे है जिसके संबंध में तहसीलदार, रेवदर द्वारा सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेवदर के प्रार्थना पत्र पर मौका पैमाईश/जांच करवाई गई। सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड रेवदर द्वारा अपीलार्थी जयन्तिलाल व अन्य के विरुद्ध ग्राम दौलापुरा के खसरा संख्या 33 की रकबा $2\frac{1}{2}$बिस्वा भूमि जो राजमार्ग सडक सीमा में स्थित है पर बाउण्ड्री वॉल बनाकर किये गये अतिक्रमण को हटवाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी व अन्य के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस जारी कर बेदखल करने के आदेश दिये गये। उसके बावजूद भी अतिक्रमण नही हटाने से प्रत्यर्थी संख्या-3 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 14477/2022 प्रस्तुत की गई जिसमें पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के द्वारा 30 दिन की अवधि में अतिक्रमण हटाकर प्रकरण का निस्तारण करने का आदेश पारित किया गया। जिससे प्रत्यर्थी भगवती फिलींग स्टेशन के लिये सर्विस लाईन का निर्माण कर सके व पैट्रोल पम्प सुचारु रुप से चालू हो सके। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बाद जांच अपीलार्थी का ग्राम दौलापुरा के खसरा संख्या 33 में रकबा $2\frac{1}{2}$बिस्वा राजमार्ग सडक सीमा भूमि में बाउण्ड्री बनाकर अतिक्रमण पाया जाने से अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने के विधि अनुरुप आदेश पारित किये गये है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाकर अतिक्रमण हटाने हेतु तहसीलदार, रेवदर को निर्देशित किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड रेवदर के पत्र क्रमांक:सअ/रेवदर/77 दिनांक 19.7.2022 के द्वारा तहसीलदार, रेवदर को अपीलार्थी जयन्तिलाल व अन्य के विरुद्ध सावर्जनिक निर्माण विभाग सडक सीमा 99/350 व 550 SH 11 में अतिक्रमण हटाने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि सांचौर, रानीवाडा, मण्डार, रेवदर, करोंटि, आबूरोड राजमार्ग संख्या 11 खसरा संख्या 33 रकबा $2\frac{1}{2}$बिस्वा भूमि पर बाउण्ड्री वॉल बनाकर अतिक्रमण किया गया है जिस पर नियमानुसार कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाने के आदेश प्रदान करावे। सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण भिाग, उपखण्ड रेवदर द्वारा रिपोर्ट के साथ मौके का नजरी नक्शा व भू अभिलेख निरीक्षक, दत्ताणी की मौका रिपोर्ट दिनांक 11.7.2022 की छाया प्रति भी प्रस्तुत की गई। सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड रेवदर की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर में अपीलार्थी जयन्तिलाल व अन्य के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी सहित अन्य अतिक्रमियों को नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु दिनांक 29.7.2022 नियत की गई, लेकिन नियत दिनांक 29.7.202 को अपीलार्थी व अन्य अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुए। जिस पर प्रकरण में तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 29.7.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:09:15 IST
Reason: SelfAttested

....पेज पांच पर

प्रति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

को निर्णय पारित कर अपीलार्थी जयन्तिलाल व अन्य को ग्राम दौलपुरा के खसरा संख्या 0.2.10.00 बीघा किस्म बंजर भूमि का आतिक्रमी घोषित कर मौके से बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी जयन्तिलाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर में सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलार्थी जयन्तिलाल के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर ने दिनांक 17.8.2022 को आदेश पारित कर अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सुनवाई हेतु दिनांक 30.8.2022 नियत करते हुए सुनवाई हेतु अतिक्रमियों को पुनः नोटिस जारी किये गये, लेकिन नियत सुनवाई तिथि 30.8.2022, 27.9.2022 व 10.10.2022 को अपीलार्थी जयन्तिलाल के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर में अपीलार्थी की ओर से जवाब आदि प्रस्तुत नही किया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी जयन्तिलाल को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अपीलार्थी जयन्तिलाल ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर में जवाब इत्यादि प्रस्तुत नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी जयन्तिलाल व अन्य द्वारा सांचौर, रानीवाडा, मण्डार, रेवदर, करोंटि, आबूरोड राजमार्ग संख्या 11 ग्राम दौलपुरा के खसरा संख्या 33 रकबा 0.2.10.00 बीघा भूमि पर बाउण्ड्री वॉल बनाकर अतिक्रमण किया गया है। ऐसी स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरुप होने से अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:09:15 IST
Reason: SelfAttested